उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 252.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1991 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) में बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) में बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और

विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. बहु-कार्य कर्म-चारीवृंद (कनिष्ठ) गेस्टेटनर आपरेटर, दफ्तरी, चयन श्रेणी अभिलेख छंटाईकार, दफ्तरी ज्येष्ठ चपरासी, चपरासी फराश, झाडूकश-सह-फराश, चौकीदार और संदेशवाहक तत्कालीन समूह 'घ' पद)	*47 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन-बैंड-1, रु. 5200—20200+(ग्रेड वेतन 1800 रुपए)	लागू नहीं	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में 5 वर्ष और शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 1 :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने को कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)

सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
दि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
ष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय ोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. निदेशक/उप सचिव (स्थापन) —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्थापन) —सदस्य 3. अवर सचिव (सामान्य) —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए 12011/5/2010-स्था.]

एम. ए. चौधुरी, अवर सचिव

ाद टिप्पण : मुख्य नियमों का प्रकाशन, भारत के राजपत्र में सा.का.नि सं. 318 तारीख 27 अप्रैल, 1992 के द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 10th October, 2012

G.S.R. 252.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession f the erstwhile Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution Group "D" posts Recruitment Rules, 991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the ollowing rules regulating the method of recruitment to the posts of Multi Tasking Staff, Group 'C' posts in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public istribution, (Department of Consumer Affairs) Multi Tasking Staff (Group 'C') posts Recruitment Rules, 2012:

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay/scale of pay.—The number of the said posts, their lassification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said chedule.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications nd other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

hall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law pplicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person rom the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, y order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or ategory of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to e provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in

3726 GI/12-10

accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff (erstwhile Group 'D' posts of Junior Gestetner Operator, Selection Grade Daftry, Record Sorter, Daftry, Senior Peon, Peon, Farash, Sweeper, Sweeper-cum-Farash, Chowkidar and Messenger)	47* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial	Pay Band-1, ₹ 5200—20200 plus Grade Pay of ₹ 1800	Not applicable	Between 18 to 25 years of age and further relaxation for five years in the case of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent pass from recognized Board/Institution	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption, to be made
(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :— (i) Director/Deputy Secretary (Establishment) —Chairman (ii) Under Secretary (Establishment) —Member (iii) Under Secretary(General) —Member	Not applicable.

[F. No. A-12011/5/2010-Estt.]

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazettee of India, *vide* G.S.R. No. 318 dated 27th April, 1992.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.